न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 27/2021

धनराज पुत्र जगदीश जाति लुहार ग्राम व पोस्ट धुवॉकला तह. दूनी जिला टोंक राज.
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 6–10–2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गयी थीः–

1. ग्राम पंचायत धुवॉकलॉ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले दिनांक 06.07.2021 तक कुल लाभार्थी 696 व्यक्ति है, जिनके ग्राम आधार कमांक व पिता के नाम सहित 696 व्यक्तियों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. ग्राम पंचायत धुवॉकलॉ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक व्यक्ति द्वारा गलत उठाया गया उसकी रिकवरी की प्रकिया विचाराधीन है, उस व्यक्ति का नाम, आधार कमांक, व पिता के नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार दूनी ने पत्र कमांक 815 दिनांक 6–9–2021 से जवाब प्रेषित किया कि आवेदक को सूचना पत्र कमांक 706 दिनांक 16–8–2021 के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भिजवाई गई थी आवेदक घर पर मोजूद नहीं था उसकी अनुपस्थिति में उसके पिता श्री जगदीश लुहार को सूचना दे दी गई थी जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न है। जवाब का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवादी गई है। अपील में कोई कार्यावाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:43:20 IST
Reason: SelfAttested